कश्मीरियत न खो जाए कहीं इस जश्न में

अहम सवाल यह है कि 370 हटा देने के पश्चात क्या कश्मीरी अवाम की मूलभूत समस्याएं दूर हो जायेंगी? क्या वहां का आम आदमी घाटी में बरसों से चली आ रही हिंसा और आतंक से निजात पा सकेगा

गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था , भारत की एकता भावनात्मक एकता में ही निहित है। अब जबकि कश्मीर से 370 की दो उपधाराएं खत्म हो चुकी हैं और कश्मीर के सारे विशेषाधिकार खत्म हो चुके हैं। इस बात पर गौर करना जरूरी हो जाता है कि इसमें कश्मीरी अवाम का मन या सहमति कहां है। गौरतलब है कि मुख्य रूप से 370 को समाप्त करने के लिए संविधान सभा के माध्यम से कश्मीरी अवाम की भूमिका को महत्वपूर्ण बनाकर उनकी सहमति व जनमत की भूमिका सुनिश्चित की गई थी। एक ओर जहां कश्मीर के सभी शीर्ष नेता नजरबंद हैं वहीं पूरे प्रदेश में कर्फ्यू लगाकर अवाम की आवाज को भी संगीनों के साए में दबा कर रख दिया गया है। इसे संवैधानिक प्रावधानों को बुरी तरह कुचलकर दस्तावेजी हेरफेर व धोखेबाजी कर कश्मीर को हड़प लिया गया कहना बेहतर होगा।

कश्मीर में जो हुआ उसमें जन गायब है, जन मन गैरहाजिर है। जैसे किसी पंचायत में समर्थ और बाहुबली किसी असहाय का हुक्कापानी बंद कर उसकी कीमती जमीन हड़प लें उसी तरह देश की सबसे बड़ी पंचायत ने कश्मीर को हड़प लिया। आपने कश्मीर की जमीन पर तो कब्जा कर लिया मगर कश्मीरी अवाम का दिल जीतकर आपसी विश्वास का पुल बनाने की बजाय नफरत की एक लम्बी खाई खोद दी जिसे पाट पाना बहुत मुश्किल होगा।

जब अंग्रेज देश की तमाम रियासतों को आजाद कर गए थे और संविलियन के लिए स्वतंत्र कर दिया था। इतिहासकार रामचंद गुहा की किताब "इंडिया आफ्टर गांधी" में बताया गया है कि आजादी से दो हफ्ते पहले लॉर्ड माउंटबेटन ने राजाओं और नवाबों को आधिकारिक संबोधन में 'इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट' के पारित होने की जानकारी देते हुए कहा कि अब उनकी ब्रिटेन की महारानी के प्रति वफादारी खत्म होती है और अब वे अपने और अपनी रियाया के भविष्य के लिए खुद जिम्मेदार रहेंगे। इसके साथ ही माउंटबेटेन ने एक प्रकार से उन्हें चेतावनी देते हुए कहा था कि 'मगर आप आजाद रहने का ख्वाब न देखें, यदि आप हिंदुस्तान में विलय को स्वीकार करते हैं, तो मैं कांग्रेस की निर्वाचित सरकार से आपके लिए कुछ बेहतर शर्तें मनवाने की कोशिश करूंगा ।' इसका असर यह हुआ कि 15 अगस्त 1947 आते-आते अधिकांश राजाओं और नवाबों ने विलय की संधि पर दस्तखत कर दिए, फिर भी कुछ बड़े राज्य जैसे कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद आजाद रहने का ख्वाब पाल रहे थे।

उन परिस्थितियों में सरदार पटेल और जवाहर लाल नेहरू ने मिलकर ही संघीय भारत की परिकल्पना को अंजाम दिया था। ये नेहरू ही थे जिन्होंने दलगत भावना, राजनैतिक वैचारिक मतभेदों से ऊपर उठकर देश की संविधान सभा में सभी को शामिल किया। जो नेहरू, पटेल, आंबेडकर के बीच संबंधों को जानबूझ कर कटु सिद्ध कर जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं वो अपने राजनैतिक स्वार्थ के लिए देश की जनता में भ्रम फैला रहे हैं। आज संसद हो या सड़क सब ओर नेहरू, पटेल, आंबेडकर, श्यामाप्रसाद मुखर्जी या उस दौर के नेताओं पर अपनी सुविधानुसार आरोप प्रत्यारोप कर ताजा हालात से आम जन को बेखबर रखने की कोशिश कर रहे हैं। आजादी के वक्त जिन रियासतों ने भारत में विलय से बचना चाहा उन्हें शामिल करने रणनीति व दबाव का भी सहारा लिया गया। मगर वहां की जनता की मंशा और सहयोग के चलते ही संभव हो पाया। गौरतलब है कि जूनागढ़ में तो जनमत भी कराया गया। जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था मगर अवाम भारत के पक्ष में थी। अंततः जनमत का सहारा लिया गया और जनता ने प्रचंड बहुमत से भारत के साथ विलय के पक्ष में मत किया।

अहम सवाल यह है कि 370 हटा देने के पश्चात क्या कश्मीरी अवाम की मूलभूत समस्याएं दूर हो जायेंगी? क्या वहां का आम आदमी घाटी में बरसों से चली आ रही हिंसा और आतंक से निजात पा सकेगा? सरकार इस मसले पर कश्मीरी अवाम को केन्द्र सरकार पर भरोसा करने की बात कर रही है जो ऐसे हालात में काफी मुश्किल लगता है। जब आप इतने बड़े और अहम फैसले के वक्त कश्मीरी अवाम को ही भरोसे में नहीं ले पा रहे हैं तो कश्मीर का अवाम आप पर कैसे भरोसा कर सकता है।

ऐसा भी नहीं है कि 1947 के बाद भारत में किसी राज्यों का विलय नहीं किया गया हो मगर उनमें हमेशा वहां की जनता की सहमति व इच्छा को प्राथमिकता दी गई। इसमें गोवा का भारत में विलय एक नजीर की तरह देखा जा सकता है। गोवा को भारत में शामिल करने के लिए के लिए तो बाकायदा एक लम्बा जनसंघर्ष चला और लोगों ने कुर्बानियां भी दीं तब जाकर आजादी के लगभग दो दशक बाद जनमत को अपने पक्ष में करके ही गोवा को भारत का अभिन्न अंग बनाया गया। यह भी समझना होगा कि आजादी के 28 बरस बाद 1975 में सिक्किम के सामरिक महत्व को देखते हुए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रणनीति के तहत आजाद सिक्किम को भारत के साथ विलय किया। इसमें भी सिक्किम के जनमत की भूमिका ही अहम रही। हालांकि सिक्किम के भारत के साथ विलय में राजनयिकों के साथ-साथ भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई मगर अपनी बेहतरीन कूटनीति के बल पर इंदिरा गांधी ने सिक्किम की जनता को राजा के खिलाफ कर अपने पक्ष में किया। जिससे जनमत संग्रह में सिक्किम की लगभग 98 प्रतिशत जनता ने भारत के साथ विलय को पसंद किया और सिक्किम को भारत का अंग बना लिया गया।

एनडीए सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने नेहरू की 370 को लेकर घिसते-घिसते घिस जाने वाली मंशा को ही मूर्तरूप दिया है, मगर क्या नेहरू अपनी मंशा को इस तरह पूरी होते देखना चाहते थे? निश्चित रूप से नहीं। नेहरू का आशय कश्मीर और भारत के अवाम की आपस में भावनात्मक एकता से था जिसे गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ने पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में कहा था। यदि इन वर्षों में ऐसा हो पाता तो धारा 370 खत्म करने में कश्मीर की जनता सबसे आगे होती और पूरे देश के साथ जश्न मनाती। आज कश्मीरी अवाम जिसका धारा 370 से सबसे गहरा ताल्लुक है इस ऐतिहासिक फैसले से अवाक है।

अहम सवाल यह है कि 370 हटा देने के पश्चात क्या कश्मीरी अवाम की मूलभूत समस्याएं दूर हो जायेंगी? क्या वहां का आम आदमी घाटी में बरसों से चली आ रही हिंसा और आतंक से निजात पा सकेगा? सरकार इस मसले पर कश्मीरी अवाम को केन्द्र सरकार पर भरोसा करने की बात कर रही है जो ऐसे हालात में काफी मुश्किल लगता है। जब आप इतने बड़े और अहम फैसले के वक्त कश्मीरी अवाम को ही भरोसे में नहीं ले पा रहे हैं तो कश्मीर का अवाम आप पर कैसे भरोसा कर सकता है। अवाम का भरोसा हासिल किया जाता है न कि मांगा जाता है। यानि आपकी नीति व नीयत में फर्क हो तो अवाम आप पर भरोसा नहीं कर सकता। क्यों आज सरकार कश्मीरी अवाम को साथ ले पाने में कामयाब नहीं हो पाई। यह एक गंभीर प्रश्न है। पिछले तीन दशकों में कश्मीरी अवाम में हिन्दुस्तान के प्रति लगातार गुस्सा व अविश्वास बढ़ता गया है और किसी भी सरकार ने इस पर सहानुभूति या गंभीरता से कोई नीति नहीं बनाई। इसके उलट हर सरकार ने कश्मीरी अवाम को सिर्फ सेना के बल पर काबू में करने का प्रयास किया है। यह बात भी समझनी होगी कि जितना सेना का दखल बढ़ा उतना ही अवाम का आक्रोश भी बढ़ता गया।

विगत वर्षों पर गौर किया जाए तो यह आसानी से समझा जा सकता है कि 370 काफी हद तक कमजोर हो चुकी थी मगर सबको जो परेशानी थी वो 35अ से थी, विशेष रूप से उन भूमाफियाओं को और कॉर्पोरेट को जो जन्नत को जहन्नुम बनाने के लिए बेताब हुए जा रहे हैं।

आज संगीनों के साए में कश्मीरी अवाम कैद है मगर इसे बहुत दिन दबाया नहीं जा सकता है। दूसरी ओर अलगाववादी ताकतें इस फैसले को लेकर अपने मंसूबों को पूरा करने कश्मीरी अवाम को भड़काने की पूरी कोशिश करेंगे। भविष्य में इन फिरकापरस्त और आतंकी संगठनों से निपटने के लिए देशभर से ज्यादा कश्मीरी जनमानस को अपने भरोसे में लेना होगा जो सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती पर तभी खरा उतर पायेंगे जब हम कश्मीरी अवाम को भावनात्मक रूप से पूरे देश के साथ जोड़ सकेंगे।

सम्पादकीय

प्रधानमंत्री मोदी ने दिया संदेश, कहा- एक सपने को पूरा करके हो रही है नई शुरुआत

जम्मू-कश्मीर के हालात सुधारने भ्रष्टाचार एवं आतंकवाद पर लगाम लगाने विकास और रोजगार निर्माण को गति देने के इरादे से यह फैसला किया गया है।

जैसी कि उम्मीद थी, प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन जम्मू-कश्मीर को लेकर किए गए ऐतिहासिक एवं निर्णायक बदलावों पर ही केंद्रित रहा। चूंकि अनुच्छेद 370 और 35-ए हटाने के बाद जम्मू-कश्मीर और साथ ही लद्दाख में एक नई शुरुआत होने जा रही है इसलिए यह समय की मांग थी कि खुद प्रधानमंत्री जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के साथ-साथ देश के लोगों से सीधे अपनी बात कहते।

यह अच्छा हुआ कि उन्होंने वक्त की यह मांग पूरी की। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में उन्होंने यह सही कहा कि एक सपने को पूरा करके एक नई शुरुआत होने जा रही है। इस क्रम में उन्होंने यह रेखांकित करके बिल्कुल सही किया कि यह प्रश्न दशकों से अनुत्तरित ही था कि आखिर अनुच्छेद 370 से जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के लोगों को क्या लाभ मिल रहा था?

इस सवाल का जवाब कम से कम उन्हें अवश्य देना चाहिए जो अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य के पुनर्गठन का विरोध कर रहे हैं? उन्हें बताना चाहिए कि वे भेदभाव भरे और अलगाव को बल देने वाले उस प्रावधान की वकालत क्यों कर रहे हैं जो इस राज्य के दलितों और आदिवासियों के अधिकारों पर कुठाराघात करने के साथ ही राज्य के बाहर के लोगों से विवाह करने वाली युवतियों के अधिकारों का हनन करता था ?ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री की ओर से इंगित की गई उस विसंगति पर भी कुछ कहना चाहिए जिसके चलते राज्य के तमाम लोगों को विभिन्न चुनावों में वोट देने का अधिकार नहीं था। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को बल और संबल देने वाले अपने संबोधन में यह स्पष्ट करके तमाम अंदेशों को खत्म करने का ही काम किया कि जम्मू-कश्मीर को केवल कुछ कालखंड के लिए केंद्र के अधीन रखने का फैसला वहां के हालात सुधारने, भ्रष्टाचार एवं आतंकवाद पर लगाम लगाने, विकास और रोजगार निर्माण को गति देने के इरादे से किया गया है।

उन्होंने यह जो भरोसा जताया कि जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाए रखने की जरूरत लंबे समय तक नहीं पड़ेगी उसे पूरा करने में राज्य और खासकर घाटी के लोगों की महती भूमिका होगी। उम्मीद है कि वे अपनी इस भूमिका के महत्व को समझेंगे। वे इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि वह अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले से असहमत लोगों के विचारों को सुनने-समझने को तैयार हैं।

चूंकि प्रधानमंत्री ने जम्मू-कश्मीर के हालात ठीक करने में देश के लोगों से भी सहयोग की अपेक्षा की इसलिए देशवासियों की ओर से भी समवेत स्वर में यही संदेश उभरना चाहिए कि कश्मीर के साथ कश्मीरी भी हमारे हैं।